"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2009— पौष 19, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से (1991), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री विश्वकर्मा, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (1985), सचिव, जनसम्पर्क एवं आयुक्त, जनसम्पर्क एवं सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं सचिव, खनिज साधन विभाग केवल सचिव, खनिज साधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

2. श्री सुब्रत साहू, भा. प्र. से. (1992), कलेक्टर, दुर्ग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री साहू, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. दलेई, भा. प्र. से (1984), केवल प्रमुख सचिव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्री विकासशील, भा. प्र. से. (1984), कलेक्टर, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा. प्र. से. (1994), सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री कृष्ण राम पिस्दा, भा. प्र. से. (1996), संचालक, महिला एवं बाल विकास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री सुबोध कुमार सिंह, भा. प्र. से. (1997), कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री मुनीष कुमार त्यागी, भा. प्र. से. (1997), कलेक्टर, बीजापुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री सोनमणि बोरा, भा. प्र. से. (1999), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री जेवियर तिग्गा, भा. प्र. से. (2000), उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी ओदश तक कलेक्टर, बीजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

10. श्री एन. एस. मंडावी, भा. प्र. से. (2000), कलेक्टर, नारायणपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री मण्डावी, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा. प्र. से. (1994), आयुक्त, आदिवासी विकास एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर केवल प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे. श्री एन. एस. मण्डावी, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

11. श्री राम सिंह ठाकुर, भा. प्र. से. (2000), कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

12. सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (2001), कलेक्टर, उत्तर बस्तर, कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

13. श्री अविनाश चंपावत, भा. प्र. से. (2003), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

14. श्री भूवनेश यादव, भा. प्र. से. (2006), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भोपालपटनम, जिला-दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/13/2008/1 /2.—श्री यशवंत कुमार, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, सरगुजा, अम्बिकापुर को दिनांक 22-12-2008 से 31-12-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यंशवत कुमार आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, सरगुजा, अम्बिकापुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री यशवंत कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यशवंत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/5/2008/1 /2.—श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला, जिला राजनांदगांव को दिनांक 19-12-2008 से 27-12-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 एवं 28 दिसम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टोप्पो आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला जिला राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/41/2004/1 /2.—श्री मनोहर पाण्डे, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 24-12-2008 से 29-12-2008 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डे आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाण्डे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/13/2004/1 /2.—श्री एम. के. राऊत, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण एवं आदिमजाति, अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 29-12-2008 से 03-01-2009 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 28-12-2008 एवं 04-01-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर विदेश (केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका) यात्रा पर जाने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राऊत आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण एवं आ. जा., अनु. जा. विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राऊत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राऊत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक 5181/2317/2008/1/2.—श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 11-12-2008 से 19-12-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ 4-6/2008/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 24 नवम्बर, 2008 से 6 दिसम्बर, 2008 तक (13 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 23 नवम्बर, 2008 एवं अवकाश पश्चात् 7 दिसम्बर, 2008 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ 4-7/2005/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 03 नवम्बर, 2008 (01 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 से 02 नवम्बर, 2008 तक दीपावली अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11240/3 (बी)/14/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 14).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. छायासिंह बघेल, आत्मजा- श्री सी. बी. सिंह बघेल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11242/3 (बी)/08/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 08).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. उदय लक्ष्मी परमार, आत्मजा- श्री हेमेंद्र सिंह परमार को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11244/3 (बी)/01/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 01).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आनंद प्रकाश दीक्षित, आत्मज श्री ब्रम्हाशंकर दीक्षित को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11246/3 (बी)/22/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 22).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, आत्मज श्री श्रीराम तिवारी को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11248/3 (बी)/33/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 33).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बलराम कुमार देवांगन, आत्मज श्री कमल नारायण देवांगन को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11250/3 (बी)/50/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 50).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार वासनिकर, आत्मज-श्री भगत लाल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11252/3 (बी)/35/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 35).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. पुष्पलता मारकण्डे, आत्मजा स्व. श्री दयालदास मारकण्डे को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11254/3 (बी)/58/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 58).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कृष्णकांत भारद्वाज, आत्मज श्री खगेशराम भारद्वाज को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11256/3 (बी)/46/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 46).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. चित्रलेखा सोनवानी, आत्मजा श्री रामदयाल सोनवानी को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11258/3 (बी)/40/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 40).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, आत्मज श्री एल. एन. सूर्यवंशी को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11260/3 (बी)/35/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 35).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री श्री गणेश राम पटेल, आत्मज श्री खेमराज पटेल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11262/3 (बी)/34/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 34).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जगमोहन शंकर पटेल, आत्मज श्री श्यामू प्रसाद पटेल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11264/3 (बी)/28/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 28).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विनय कुमार प्रधान, आत्मज श्री मंगता प्रधान को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11266/3 (बी)/23/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 23).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विक्रम प्रताप चंद्रा, आत्मज श्री जय नारायण चन्द्रा को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11664/3 (बी)/57/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 57).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रूपनारायण पठारे, आत्मज श्री तीरथ राम पठारे को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11666/3 (बी)/36/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 36).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बलराम प्रसाद वर्मा, आत्मज श्री परदेशी राम वर्मा को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11668/3 (बी)/32/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 32).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ओम प्रकाश जायसवाल, आत्मज श्री हलधर प्रसाद को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11671/3 (बी)/25/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 25).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय अग्रवाल, आत्मज श्री बृजभूषण अग्रवाल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11673/3 (बी)/24/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 24).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, आत्मज स्व. श्री बृजभूषण सिंह को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11675/3 (बी)/37/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 37).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संतोष कुमार महोबिया, आत्मज श्री देवनारायण को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11677/3 (बी)/39/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 39).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. मोना सोनवानी, आत्मजा श्री हेमलाल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11679/3 (बी)/59/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 59).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पंकज आलोक तिर्की, आत्मज श्री राफेल तिर्की को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11681/3 (बी)/49/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 49).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दीपक कुमार कोशले, आत्मज श्री जौहर लाल कोशले को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11683/3 (बी)/07/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 07).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अच्छे लाल काछी, आत्मज श्री रामचरण को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11685/3 (बी)/10/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 10).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. स्मिता रत्नावत, आत्मजा श्री जगदीशचंद्र रत्नावत को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11687/3 (बी)/45/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 45).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. मोनिका जायसवाल, आत्मजा श्री हरिशचंद्र जायसवाल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11689/3 (बी)/11/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 11).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अमित राठौर, आत्मज श्री कन्हैया लाल राठौर को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11691/3 (बी)/43/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 43).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, आत्मज स्व. श्री अर्जुन राम को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11693/3 (बी)/51/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 51).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री डमरूधर चौहान, आत्मज श्री चैतराम चौहान को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11695/3 (बी)/17/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 17).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुमित कपूर, आत्मज स्व. श्री शिवदयाल कपूर को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11697/3 (बी)/42/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 42).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संतोष ठाकुर, आत्मज श्री संपत सिंह ठाकुर को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

फा. क्र.11699/3 (बी)/41/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 41).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. वंदना वर्मा, आत्मजा श्री श्यामरत वर्मा को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

क्रमांक 1650/374/2008/स्था/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में -

अनुसूची- दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा	संचालक	01	कुछ नहीं	100%	पदोन्नति द्वारा उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में आई. ए. एस./ भारतीय लेखा तथा संपरीक्षा सेवा से अस्थायी/ प्रतिनियुक्ति द्वारा पदों को भरा जायेगा.
		अतिरिक्त संचालक	01	कुछ नहीं	100%	
		संयुक्त संचालक	02	कुछ नहीं	100%	
		उप संचालक	07	कुछ नहीं	100%	
		सहायक संचालक	24	30%	70%	

Raipur, the 26th December 2008

No. 1650/374/Estt./IV/2008.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Local Fund Audit (Gazetted) Service Recruitment Rule 1991, with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

AMENDMENT

In the said rules,-

For Schedule-II, the following schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE-II
(See rule-6)

Name of the Department	Name of Services	Designation of post	Total Number of duty posts	Percentage of the duty post to be filled in by Direct recruitment	By promotion of the member of the services	By temporary transfer of person from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Finance Department	Chhattisgarh Local Fund Audit (Gazetted) Service.	Director	01	Nil	100%	In case of suitable officer not being available by promotion the post will be filled by temporary/deputation from IAS/INDIAN Account and Audit Services.
		Additional Director	01	Nil	100%	
		Joint Director	02	Nil	100%	
		Deputy Director	07	Nil	100%	
		Assistant Director	24	30%	70%	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजयेन्द्र, सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2008

क्र. एफ 8-30/2008/23.—राज्य शासन द्वारा सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 6.3 (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकार को प्रयोग में लाते हुए इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और जिला प्राधिकारियों को मार्गदर्शन करने के लिये संभागीय आयुक्त को शक्तियाँ प्रदत्त/प्रत्यायोजित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्रमांक 1008/13-2/ऊर्जा/2008 .—श्री राजीब रंजन, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को अपने पद से स्वेच्छा से त्याग-पत्र दिया गया है, जिसे शासन ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 के पूर्वान्ह से स्वीकृत कर लिया है. फलस्वरूप राज्य शासन श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अन्य आदेश तक अपनी मूल पदस्थापना के साथ अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल भी नियुक्त करता है.

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

संशोधन

क्रमांक एफ 1-35/2004/13/1 .—छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पूर्व अधिसूचना क्रमांक 1115/ऊ. वि. /2002, दिनांक 19-03-2002 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों की सेवा शर्तों को अधिसूचित किया गया था. तत्पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 3452/स/ऊ. वि./2002, दिनांक 07-09-2002 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना के प्रावधान 1 (अ) में संशोधन कर अध्यक्ष व सदस्य का वेतन संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया है.

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय शासन के अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु दिनांक 01-01-2006 से छठवें वेतनमान की सिफारिशें लागू की गई हैं, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य को भी दिनांक 01-01-2006 से नये वेतनमान का लाभ दिया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-180 की उपधारा-2 (द) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों हेतु वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्त नियम 2003 की कंडिका 1 (अ) के अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्य को देय वेतन/वेतनमान के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए छठवें वेतनमान के अनुरूप दिनांक 01-01-2006 से लागू कर निम्नानुसार पुनरीक्षित वेतनमान का प्रावधान अधिसूचित किया जाता है :-

अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें :-

वेतन व भत्ते :-

राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को देय वेतन भत्ते निम्नानुसार होंगे :-

(अ) **अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन :-**

अध्यक्ष को रुपये 80,000/- (मुख्य सचिव के वेतनमान के समकक्ष) प्रतिमाह नियत वेतन देय होगा व अन्य नियमानुसार देय भत्ते पृथक से दिये जायेंगे.

सदस्य/सदस्यों को वेतनमान रु. 37,400-67,000/- (प्रमुख सचिव के वेतनमान के समकक्ष) होगा व अन्य नियमानुसार देय भत्ते पृथक से दिये जायेंगे.

यदि केन्द्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारी अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्त होते हैं तो इन्हें अध्यक्ष/सदस्य हेतु निर्धारित वेतनमान देय होगा. किन्तु यदि अध्यक्ष/सदस्य पूर्व में भारत सरकार/किसी राज्य सरकार अथवा अन्य संस्था की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं पूर्व सेवा के लिये पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो उन्हें अध्यक्ष/सदस्य के वेतनमान से पेंशन की राशि कम करते हुए वेतन निर्धारित किया जावेगा.

वेतन/वेतनमान को छोड़कर संदर्भित विभागीय अधिसूचना दिनांक 19-03-2002 एवं उक्त अधिसूचना में समय-समय पर किये गये अन्य संशोधन यथावत् रहेंगे.

यह सेवा शर्तें दिनांक 01-01-2006 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2008

आंशिक संशोधन

क्र./4910/एफ-8/4/2008-09/14-2.—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ, 2008 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन एतदद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर को सम्मिलित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 20 नवम्बर 2008

क्रमांक/1923/प्र.-1/अ. वि. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	किरकी प. ह. नं. 8	7.69 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बेमेतरा.	किरकी जलाशय के डुबान एवं नहर निर्माण में अर्जित भूमि बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक/15/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) संशोधित धारा 17 (4) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	छतौना प. ह. नं. 22	0.506 हे.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा.	दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक/16/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) संशोधित धारा 17 (4) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	समलपुरी प. ह. नं. 25	0.316 हे.	अनुविभागीय अधिकारी (रा), कोटा.	दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/16 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहभट्ठा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 17.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/37	0.624
380/7	0.636
299/1	0.867
55/1	0.344
45/61	1.045
45/47	0.680
189	0.101
252/2	0.032
190	0.041
78	0.004
302/1	1.354
45/3, 55/2	0.004
45/20	0.004
45/22, 45/5	0.024
188	0.182
239	0.049
240	0.105
241/1	0.446
241/2	0.121
243	0.223
244/1	0.121
245	0.016
246	0.004
380/41	0.502
247/1	0.178
380/45	0.502
249	0.365
252/4	0.324
302/8	0.275
380/2	1.069
250	0.247
380/13	0.482
380/17	0.470
380/75	0.223
380/10	0.668
380/11	1.555
302/28	1.230
380/14	0.275
45/2, 55/4, 65/1	0.009
302/11, 302/21, 302/48	1.313
380/106	0.502
योग 41	17.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मर्राकोनी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 29 दिसम्बर 2008

क्रमांक/238/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उ. बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-कांकेर

(ग) नगर/ग्राम-कुरिष्टीकुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
895	0.28
877	0.07
880	0.20
896	0.09
869	0.10
874	0.06
870	0.08
826	0.10
471	0.12
468	0.03
837	0.02
827	0.02
825	0.04
467	0.08
823	0.09
464	0.07
454	0.48
460	0.07
459	0.06
461	0.05
403	0.53
364	0.01
365	0.03
369	0.22
462	0.01
458	0.02
893	0.01
योग	2.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- बांधापारा जलाशय के मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/136/अ. वि. अ./भू-अर्जन/07 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-झिटकी, प. ह. नं. 112/59

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
678	0.17
677/2	0.02
683	0.03
योग 3	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/ 137/अ. वि. अ./भू-अर्जन/08 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-पड़कीपाली, प. ह. नं. 118/65

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127/1	0.12
योग 1	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चण्डी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 64/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.835 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/2	0.081
90/2	0.020
90/2	0.036
165/2	0.085
165/3	0.012
167/1	0.032
167/2	0.121
167/3	
167/4	
168/4	0.016
171	0.040
172	0.061
176/1	0.142
176/2	0.028
173	0.109
177/1	0.012
177/5	0.020
177/7	0.020
योग 16	0.835

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - कबीरधाम जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 68/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मंजूरपहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.162
96	0.146
184/4	0.364
योग 3	0.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - कबीरधाम जलाशय के डूबान एवं उलट द्वार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 69/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिंटकुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.623 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231/1	0.024
231/2	0.057
231/3	0.028
231/4	0.028
231/5	0.028
232/3	0.275
232/5	0.162
234/2	0.296
139/1	0.405
141/20	0.454
141/6	0.040
141/15	0.036
141/11	0.040
141/5	0.036
141/12	0.107
141/14	0.121
234/4	0.085
141/17	0.040
141/18	0.036
234/6	0.020
141/7	0.150
141/2	0.490
232/2	0.146
234/3	0.053
234/5	0.045
141/13 | 141/19	0.061
141/8	0.279
141/10	0.081
योग 30	3.623

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - कबीरधाम जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 62/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पासीद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.083 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1284	0.024
1285	0.045
1286/1	0.020
1286/2	0.024
1311/1	0.024
1311/2क	0.088
1313/1	0.057
1314/2	0.012
1312	0.045
1313/2	0.061
1314/1	0.081
1318/2	0.032
1318/3	0.129
1318/4	0.032
1320	0.097
1322	0.004
1323	0.093

(1)	(2)
1325	0.061
1326	0.065
1327	
1328	
1306	0.113
1307	0.028
1334/2	0.028
योग 22	1.083

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - अरपा नदी पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा
बी-99 मेन रोड, समता कालोनी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./वि. परीक्षा/08/1203.—स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग की विभागीय नियमावली में निहित प्रावधान एवं शासन के पत्र क्रमांक/1425/779/2008/स्था/चार दिनांक 16-10-2008 के अनुक्रम में अधिसूचित है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं दो माह फरवरी-2009 दिनांक 02-02-2009 से 06-02-2009 तक नीचे लिखित अनुसार संपादित होगी :-

भाग-एक

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	प्रथम	02-02-09	सोमवार	संक्षेपिका तथा प्रारूप (पुस्तक रहित)	3.00 घंटे 10.30 से 01.30 बजे
2.	चतुर्थ-अ	03-02-09	मंगलवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (सैद्धांतिक). (पुस्तक रहित)	1.30 घंटे 10.30 से 12.00 बजे
3.	चतुर्थ-ब	04-02-09	बुधवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (व्यवहारिक). (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे 10.30 से 1.00 बजे
4.	द्वितीय	05-02-09	गुरुवार	मूलभूत नियम, सिविल लेखा विनियम इत्यादि. (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे 10.30 से 1.00 बजे
5.	तृतीय	06-02-09	शुक्रवार	लेखा परीक्षा तथा लेखा संहिताएं (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे 10.00 से 1.00 बजे

भाग-दो

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	चतुर्थ	02-02-09	सोमवार	स्थानीय नियम तथा लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता. (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे 2.30 से 05.00 बजे
2.	तृतीय	03-02-09	मंगलवार	वाणिज्यिक बहीखाता (पुस्तक रहित)	2.00 घंटे 2.30 से 04.30 बजे
3.	द्वितीय	04-02-09	बुधवार	भारत का संविधान (पुस्तक सहित)	3.00 घंटे 2.30 से 5.30 बजे
4.	प्रथम-ब	05-02-09	गुरुवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (व्यवहारिक) (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे 2.30 से 5.00 बजे
5.	प्रथम-अ	06-02-09	शुक्रवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित)	1.30 घंटे 2.30 से 4.00 बजे

रायपुर दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./वि. परीक्षा/08/1204.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में नियुक्त सहायक संचालकों (द्वितीय बैच) के लिये विभागीय परीक्षा भाग-एक छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञाप क्रमांक/1333/1381/2008/स्था/चार दिनांक 15-09-08 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार आयोजित होगी :-

भाग-एक

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	अवधि (6)
1.	प्रथम (अ)	02-02-09	सोमवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम. (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	01.30 घंटे 10.30 से 11.30 बजे तक
2.	प्रथम (ब)	02-02-09	सोमवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम. (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	02.30 घंटे 2.30 से 05.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	द्वितीय	03-02-09	मंगलवार	भारतीय संविधान एवं संसदीय वित्तीय नियंत्रण.	03 घंटे 10.30 से 1.30 बजे तक
4.	तृतीय	03-02-09	मंगलवार	कोषालय लेखा एवं प्रशासन	03 घंटे 2.30 से 5.30 बजे तक
5.	चतुर्थ	04-02-09	बुधवार	वित्तीय नियम एवं विनियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	03 घंटे 10.30 से 1.30 बजे तक
6.	पंचम	04-02-09	बुधवार	वित्तीय नियम एवं विनियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	03 घंटे 10.30 से 1.30 बजे तक
7.	षष्टम	06-02-09	शुक्रवार	वृहत लेखाकर्म	03 घंटे 10.30 से 1.30 बजे तक
8.	सप्तम	06-02-09	शुक्रवार	कंपनी लेखे	03 घंटे 2.30 से 5.30 बजे तक

जी. के. पुर्रे,
उप संचालक/परीक्षा नियंत्रक.

न्यायालय कलेक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

क्रमांक 12177/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—इस न्यायालय के रा. प्र. क्र. 20/अ-82/2007-08, सा. धनरास, संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर बनाम छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग में क्रमांक 9451/भू-अर्जन/वाचक कले./2008 कोरबा दिनांक 15-9-08 द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना धारा 4 (1) सहपठित धारा 17 (1) की छठवें पंक्ति में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों अंकित हो गया है. जिसे सुधार कर धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों पढ़ा व लिखा जावे. इसी प्रकार अनुसूची के कालम 05 में धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश धारा 4 (1) में अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अंकित हो गया है. जिसे सुधार कर धारा 4 (1) में अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पढ़ा व लिखा जावे.

कोरबा, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

क्रमांक 12179/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—इस न्यायालय के रा. प्र. क्र. 21/अ-82/2007-08, सा. छुरीकला, संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर बनाम छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग में क्रमांक 9453/भू-अर्जन/वाचक कले./2008 कोरबा दिनांक 15-9-08 द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना धारा 4 (1) सहपठित धारा 17 (1) की छठवें पंक्ति में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों अंकित हो गया है. जिसे सुधार कर धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों पढ़ा व लिखा जावे. इसी प्रकार अनुसूची के कालम 05 में धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश धारा 4 (1) में अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अंकित हो गया है. जिसे सुधार कर धारा 4 (1) में अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पढ़ा व लिखा जावे.

कोरबा, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

क्रमांक 12181/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—इस न्यायालय के रा. प्र. क्र. 22/अ-82/2007-08, सा. चोरभट्ठी, संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर बनाम छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग में क्रमांक 9455/भू-अर्जन/वाचक कले./2008 कोरबा दिनांक 15-9-08 द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना धारा 4 (1) सहपठित धारा 17 (1) की छठवें पंक्ति में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों अंकित हो गया है. जिसे सुधार कर धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों पढ़ा व लिखा जावे. इसी प्रकार अनुसूची के कालम 05 में धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश धारा 4 (1) में अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अंकित हो गया है. जिसे सुधार कर धारा 4 (1) में अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पढ़ा व लिखा जावे.

कोरबा, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

क्रमांक 12183/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—इस न्यायालय के रा. प्र. क्र. 23/अ-82/2007-08, सा. पुरेनाखार, संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर बनाम छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग में क्रमांक 9457/भू-अर्जन/वाचक कले./2008 कोरबा दिनांक 15-9-08 द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना धारा 4 (1) सहपठित धारा 17 (1) की छठवें पंक्ति में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों अंकित हो गया है. जिसे सुधार कर धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों पढ़ा व लिखा जावे. इसी प्रकार अनुसूची के कालम 05 में धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश धारा 4 (1) में अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अंकित हो गया है. जिसे सुधार कर धारा 4 (1) में अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पढ़ा व लिखा जावे.

ए. के. अग्रवाल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th December 2008

No. 82 (Mis)/I-7-3/2009 (Pt.-II).— The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following are the Holidays for the Courts subordinate to the High Court of Chhattisgarh for the Year 2009 :-

S. No.	Name of Holidays	No. of Days	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the Week
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Moharram	1	08-01-2009	Thursday
2.	Republic Day	1	26-01-2009	Monday
3.	Mahashivratri	1	23-02-2009	Monday
4.	Milad-Un-Nabi	1	10-03-2009	Tuesday
5.	Holi	1	11-03-2009	Wednesday
6.	Ram Navami	1	03-04-2009	Friday
7.	Mahavir Jayanti	1	07-04-2009	Tuesday
8.	Raksha Bandhan	1	05-08-2009	Wednesday
9.	Janmashtami	1	14-08-2009	Friday
10.	Id-Ul-Fitr	1	21-09-2009	Monday
11.	Dashera Holidays	3	26-09-2009 to 28-09-2009	Saturday to Monday
12.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2009	Friday
13.	Deepawali Holidays	4	16-10-2009 to 19-10-2009	Friday to Monday
14.	Gurunanak Jayanti	1	02-11-2009	Monday
15.	Id-Ul-Zuha	1	28-11-2009	Saturday
16.	Guru Ghasidas Jayanti	1	18-12-2009	Friday
17.	Christmas	1	25-12-2009	Friday
18.	Moharram	1	28-12-2009	Monday

NOTES :-

1. All the Sundays are declared holidays for the Subordinate Courts including the Sundays falling during Vacations.

2. The Saturdays falling on 10th January, 2009, 17th January, 2009, 14th February, 2009, 21st February, 2009, 14th March, 2009, 21st March, 2009, 11th April, 2009, 18th April, 2009, 9th May, 2009, 16th May, 2009, 13th June, 2009, 20th June, 2009, 11th July, 2009, 18th July, 2009, 8th August, 2009, 15th August, 2009, 12th September, 2009, 19th September, 2009, 10th October, 2009, 17th October, 2009, 14th November, 2009, 21st November, 2009, 12th December, 2009 and 19th December, 2009 shall be closed Saturdays for the Subordinate Courts.

3. Independence day, dated 15-08-2009 fall on closed Saturday, therefore, no holiday is declared separately.

4. The Judicial Officers of Subordinate Courts shall be entitled to avail of Vacation for a period of maximum 15 days in a year during the period of Summer Vacation from 18-05-2009 to 12-06-2009 and Winter Vacation from 21-12-2009 to 31-12-2009.

5. Holidays declared on account of Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un- Nabi and Id-Ul- Fitr are subject to change

depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

6. The officers and employees of Subordinate Courts shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2009.

7. The Subordinate Courts shall observe the local holidays as declared by the competent authority in respective Revenue Districts on account of local festivals of the District.

8. Subordinate Courts will observe the holidays declared suddenly by the State Government without approval of the High Court.

Bilaspur, the 12th December 2008

No. 1010/Confdl./2008/II-3-1.— The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at the places in the capacity as shown against their names in column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this Order :-

TABLE

Sl. No. (1)	Name & address of newly appointed Civil Judge Class II (2)	Posted As & At (3)
1.	Shri Anand Prakash Dixit, S/o Shri Brahma Shankar Dixit, Additional District & Sessions Judge, Umaria, Distt.-Umaria (M. P.)	Civil Judge, Class-II, Baloda Bazar, District-Raipur.
2.	Ku. Uadai Laxmi Parmar, D/o Shri Hemendra Singh Parmar, C/o Ashu Dubey, 98 Radio Colony, Indore (M. P.), Pin : 465669.	VIII Civil Judge, Class-II, Bilaspur.
3.	Ku. Chhaya Singh Baghel, D/o Shri C. B. Singh Baghel, Jailor, Central Jail, Satna (M. P.)	VII Civil Judge, Class-II, Durg.
4.	Shri Gyan Prakash Tiwari, S/o Shri Shriram Tiwari, Room No. 70, Shatabdi Boys Hostel, Allahabad University, Chatham Lines, Allahabad (U. P.), Pin : 211002.	Civil Judge, Class-II, Bhatapara, District-Raipur.
5.	Shri Vikram Pratap Chandra, S/o Shri Jai Narayan Chandra, Qr. No. F/85, Old Meena Bazar, Bilaspur (C. G.), Pin : 495001.	Civil Judge, Class-II, Jashpurnagar.
6.	Shri Vinay Kumar Pradhan, S/o Shri Mangat Pradhan, Vill : Patrapali, Post : Saraipali, District : Mahasamund (C. G.)	Civil Judge, Class-II, Khairagarh, District-Rajnandgaon.
7.	Shri Balram Kumar Dewangan, S/o Shri Kamal Narayan Dewangan, Shahid Bhagat Singh Chowk. Jail Grih Marg, Tikrapara, Raipur (C. G.)	II Civil Judge, Class-II, Dantewara.

(1)	(2)	(3)
8.	Shri Jagmohan Shankar Patel, S/o Shri Shyamu Prasad Patel, Patel Gali Mahamai Para, Purani Basti, Raipur (C. G.), Pin : 492001.	Civil Judge, Class-II, Bhanupratappur, District-Uttar Bastar (Kanker).
9.	Shri Ganesh Ram Patel, S/o Shri Khemraj Patel, Vill & Post : Amarkot, Tehsil : Saraipali, District : Mahasamund (C. G.)	Civil Judge, Class-II, Pratappur, District-Surguja (Ambikapur).
10.	Ku. Pusplata Markande, D/o Late Dayaldas Markande, Qr. No. C1-12, Guru Ghasidas Society, Raipur (C. G.), Pin : 492001.	II Civil Judge, Class-II, Bemetara, District-Durg.
11.	Shri Krishna Kumar Suryavanshi, S/o Shri L. N. Suryavanshi, H/2-129, Narmada Nagar Bilaspur.	Civil Judge, Class-II, Gariyaband, District-Raipur.
12.	Ku. Chitra Lekha Sonwani, D/o Shri Ram Dayal Sonwani, D-14, Sector-2, Avanti Vihar Colony, Telibandha, Raipur (C. G.).	Civil Judge, Class-II, Sakti, District-Janjgir-Champa.
13.	Shri Bhupendra Kumar Vasnikar, S/o Shri Bhagat Lal Vasnikar, Rajmahal Parisar, Jagdalpur (C. G.), Pin : 494001.	XI Civil Judge, Class-II, Raipur.
14.	Shri Krishna Kant Bhardwaj, S/o Shri Khagesh Ram Bhardwaj, Near Om Shanti Niketan School, Vidhansabha Road, Mowa Raipur, Raipur (C. G.).	Civil Judge, Class-II, Manendragarh, District- Koria (Baikunthpur)

By order of the High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.